मौसम

तापमान	गाजियाबाद	कानपुर	वाराणसी	झांसी
अधिकतम	36.0	37.0	37.0	35.0
न्यूनतम	27.0	29.0	29.0	28.0

ट्रेन से कट कर बुजुर्ग की मौत

आगरा, 20 जुलाई (भाषा)।

आगरा-झांसी रेलवे लाइन पर मलपुरा क्षेत्र के पास मंगलवार रात को ट्रेन से कट कर एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार, थाना मलपुरा के गांव अजीजपुर निवासी जहूर खान (60) मंगलवार रात करीब आठ बजे किसी काम से घर से निकले थे और वह क्षेत्र के गांव टपरा में आगरा-झांसी रेलवे लाइन पर पहुंच गए। बताया जाता है कि खान ट्रेन के आगे कूद गए, जिससे कट कर उनकी मौत हो गई। इस संबंध में बुधवार को थाना मलपुरा निरीक्षक तेजवीर सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच जारी है।

दो ट्रकों की टक्कर, चालक की जान गई

वाराणसी 20 जुलाई (जनसत्ता) ।

चोलापुर थाना क्षेत्र के धरसौना बाजार के बाईपास पर मंगलवार की देर रात पास लेने के चक्कर में दो ट्रक आपस में टकरा गए। इस घटना में एक ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

धरसौना बाजार के बाईपास पर दो ट्रक वाराणसी से आजमगढ़ की तरफ जा रहे थे। दोनों ट्रकों पर बालू लदा हुआ था। एक ट्रक दूसरे ट्रक से पास लेने के चक्कर में टकरा गया। जिसमें ट्रक ड्राइवर साहेब (32) पुत्र पत्तु राम निवासी ग्राम भेलखा थाना बड़ागांव गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंचे लोगों ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चोलापुर पहुंचाया। जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चोलापुर क्षेत्र के धरसौना गरथमा मार्ग पर बालू लदे ट्रैक्टर के धक्के से धरसौना निवासी बुजुर्ग किसान राधेश्याम यादव (65) की मौत हो गई। राधेश्याम घर जा रहे थे कि रास्ते में तेज रफ्तार से बालू लदे ट्रैक्टर की चपेट में आ गए। आसपास के लोग तुरंत सीएचससी चोलापुर ले गए, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

अवैध असलहों के चार तस्कर गिरफ्तार

वाराणसी, 20 जुलाई (जनसत्ता) ।

यूपी एटीएस की वाराणसी इकाई और सारनाथ पुलिस ने हिरामनपुर रेलवे क्रासिंग के पास से चार अंतरप्रांतीय असलहा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनमें- विवेक दुबे, संजय सिंह उर्फ छेदी, सुमित कुमार व राज कुमार हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से चार पिस्टल, सात मैगजीन, पिस्टल बिक्री के 50 हजार रुपए और 5 मोबाइल बरामद किया है। इन तस्करों में से दो बक्सर बिहार के तीसरा झारखंड का और चौथा संजय सिंह मुगलसराय चंदौली का निवासी है। संजय बनारस के लक्सा व सारनाथ थाने का हिस्ट्रशीटर है। यह तस्कर बिहार के विभिन्न थानों से इससे पहले भी कई बार जेल जा चुके हैं।

पुलिस की पूछताछ में बताया कि वे अक्सर बिहार और मध्य प्रदेश से असलहे कम दाम पर खरीद कर लाते रहे। इस बार वे मध्य प्रदेश के बरवानी से असलहे खरीद कर लाए थे। तस्कर विवेक दुबे ने बताया कि आजमगढ़ के सौरभ यादव ने मध्य प्रदेश के सिंघाना निवासी जगत सरदार से मेरा परिचय कराया था। इसके बाद वह सौरभ यादव के कहने पर कई बार यूपी व बिहार असलहे बेचने जा चुका है। इससे पहले भी दो बार सिंघाना (मप्र.) जाकर बक्सर के रितिक को दो पिस्टल, दिनेश यादव व रितेश पांडेय को तीन पिस्टल और स्टेट गन दिलवा चुका है। इन असलहों को पिछले वर्ष वाराणसी पुलिस ने पकड़ लिया था।

पुलिस के अनुसार इन तस्करों का संगठित गिरोह है और इस गिरोह का सरगना छपरा बिहार निवासी विजय सिंह हाथी है। गिरोह के लोग असलहों का पहले सौदा तय कर लेते हैं। इसके बाद मांग के अनुसार असलहे लाकर उन्हें बेचते हैं। तस्करों ने बताया कि मध्य प्रदेश से लाए गए इन असलहों को बेचने के लिए वह वाराणसी आ रहे थे।

सारनाथ स्टेशन पर ट्रेन से उतर कर वह टहलते हुए हिरामनपुर रेलवे क्रासिंग तक पहुंचे थे तभी पुलिस टीम ने उन्हें पकड़ लिया। हालांकि एटीएस की टीम को इन तस्करों की गतिविधियों की जानकारी पहले ही हो चुकी थी। इसके बाद से सर्विलांस की मदद से इन पर नजर रखी जा रही थी।

कांवड़ियों की मदद करने के आदेश का शिक्षकों ने किया विरोध

लखीमपुर खीरी, 20 जुलाई (भाषा)।

लखीमपुर खीरी जिले के गोला इलाके में दर्जन भर प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों ने हर सोमवार को ऐतिहासिक शिव मंदिर पहुंच कर कांवड़ियों की मदद करने के आदेश का यह कहते हुए विरोध किया है कि उन्होंने पहले कभी इस तरह के गैर-शैक्षणिक कार्य नहीं किए हैं। बहरहाल, अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश अनिवार्य नहीं है, बल्कि जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को संभालने में प्रशासन की मदद करने के लिए एक सुझाव मात्र है।

> *बेसिक* शिक्षा अधिकारी ने बताया कि श्रावण माह के प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव के भक्तों की भारी भीड़ के प्रबंधन में जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए सद्भावनापूर्वक आदेश जारी किया गया है।

खीरी के बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) लक्ष्मीकांत पांडेय का 15 जुलाई को जारी आदेश भी 17 जुलाई को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिससे मामला और उलझ गया। यूपी प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला महासचिव मनोज कुमार शुक्ला ने बताया कि आदेश के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद, गोला के कई शिक्षकों ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की आपत्ति थी कि आदेश का पालन कैसे किया जाए, क्योंकि वे इस तरह के गैर-शैक्षणिक कार्यों में पहले कभी नहीं लगे थे। तब हमने खीरी के बेसिक शिक्षा अधिकारी से बात की।

शुक्ला ने बताया कि बेसिक शिक्षा अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि शिक्षकों को यह आदेश भीड़ को संभालने में प्रशासन की मदद के लिए स्वैच्छिक सहयोग का एक सुझाव था। श्रावण मास के सोमवार को कांवड़ियों की भारी भीड़ रहती है और इस दौरान स्कूलों को भी बंद रखा जाता है। पांडेय ने बताया कि श्रावण माह के प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव के भक्तों की भारी भीड़ के प्रबंधन में जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए सद्भावनापूर्वक आदेश जारी किया गया है।

गोला गोकर्णनाथ, जिला मुख्यालय से 32 किमी पश्चिम में स्थित एक शहर है जिसे 'छोटी काशी' कहा जाता है। यहां श्रावण मास के दौरान हर सोमवार को विभिन्न जिलों और कस्बों से श्रद्धालु ऐतिहासिक शिव मंदिर में पूजा और जलाभिषेक करने आते हैं। पांडेय ने कहा कि भक्तों की भारी भीड़ के प्रबंधन में केवल जिले के अधिकारियों की सहायता के लिए, 10 प्राथमिक बेसिक स्कूल के शिक्षकों को स्वयंसेवा के लिए कहा गया था कि वे दूरदराज के इलाकों से आने वाले कांवड़ियों को शहर के मार्ग के अनुसार मंदिर तक पहुंचने में मदद करें।

यह अनिवार्य आदेश नहीं था और यह बात गोला प्रखंड शिक्षा अधिकारी, शिक्षकों और उनके प्रतिनिधियों को बताई गई थी।

सहारनपुर का क्षेत्रफल 12 हजार हेक्टेयर बढ़ाया जाएगा : आशीष

सहारनपुर, 20 जुलाई (जनसत्ता)।

सहारनपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आशीष कुमार ने बताया कि महायोजना 2031 की योजना तैयार हो गई है। इसे शासन को भेजा गया है। वहां से स्वीकृति के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि सहारनपुर नगर की आबादी तेजी से बढ़ रही है। आगामी दस वर्ष में सहारनपुर नगर का विकास तेजी के साथ होगा। विकास के लिए विशेष योजना तैयार की गई है। इसका आमजन को अधिक से अधिक लाभ मिलेगा।

आशीष कुमार ने बताया कि आगामी 10 साल के भीतर सहारनपुर नगर का क्षेत्रफल 12 हजार हेक्टेयर तक बढ़ जाएगा।

इसमें 40 फीसद क्षेत्र आबादी का होगा। 16 फीसद क्षेत्रफल में पार्क और हरियाली रखी जाएगी। इस योजना के तहत 146 नए गांवों को सहारनपुर नगर में शामिल किया गया है। इससे सहारनपुर विकास प्राधिकरण का क्षेत्रफल बढ़ कर 11800 हेक्टेयर हो गया है। जनता रोड़, अंबाला रोड़, दिल्ली रोड़ और गंगोह रोड़ पर सहारनपुर नगर का विस्तार हुआ है।

शिवालिक के वनों में दिखे गिरीफन गिद्ध

सहारनपुर, 20 जुलाई (जनसत्ता)।

पर्यावरण के दूत माने जाने वाले दुर्लभ प्रजाति के गिरीफन गिद्धों के ग्यारह साल बाद शिवालिक वन क्षेत्र में दिखाई देने को वन विभाग अपनी बड़ी उपलब्धि मान रहा है।

शिवालिक वन क्षेत्र की जिला वनाधिकारी श्वेता सेन ने बुधवार को बताया कि एक तरह से विलुप्त हो चुके गिद्धों के शिवालिक वन में दिखाई देने से पर्यावरण प्रेमी और वनाधिकारी खासे उत्साहित हैं। उन्होंने बताया कि ऊंची पर्वत मालाओं पर पाए जाने वाले गिरीफन गिद्धों की मौजूदगी का हाल ही में पता चला है। वनाधिकारियों ने और उन्होंने स्वयं बादशाही बाग क्षेत्र में इन गिद्धों को देखा है। मोटे अनुमान के अनुसार 20 से 25 गिद्धों के वहां होने की संभावना है। इस दिशा में वन विभाग पूरी जानकारी लेकर अध्ययन करेगा। ध्यान रहे पिछले कुछ सालों के दौरान गिद्ध विलुप्त हो गए थे। गिद्ध मरे हुए जानवरों का मांस खाने के आदी होते हैं और एक तरह से इन्हें स्वच्छ पर्यावरण का दूत माना जाता है।

डीएम व एसपी ने मध्यप्रदेश सीमा का औचक निरीक्षण किया

उरई, 20 जुलाई (जनसत्ता)।

जिलाधिकारी चांदनी सिंह व पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने बुधवार देर रात मध्य प्रदेश सीमा व कोतवाली का औचक निरीक्षण किया।

जिलाधिकारी ने माधौगढ़ उपजिलाधिकारी व कोतवाल को तत्काल प्रभाव से हटाते हुए स्पष्टीकरण भी मांगा है। साथ ही एक समिति बनाकर इस मामले की गंभीरता से जांच कराई जाएगी। संबंधित क्षेत्र में पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाएगा जिससे यह पता चल सके कि किस प्रकार की गतिविधियां पिछले कई दिनों से यहां हो रही हैं। जिला प्रशासन द्वारा प्रकरण को गंभीरता लिया जा रहा है। जांच में किसी भी अधिकारी की संलिप्तता पाई जाती है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। उसके बाद दोनों अधिकारियों ने माधौगढ़ कोतवाली का भी निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने अपराध रजिस्टर, एससी एसटी रजिस्टर, महिला उत्पीडऩ रजिस्टर, त्यौहार रजिस्टर सहित अन्य का बारीकी से निरीक्षण किया।

खबर कोना

दो किलो चरस के साथ एक को गिरफ्तार

बहराइच, 20 जुलाई (जनसत्ता)।

जनपद बहराइच के थाना खैरीघाट पुलिस ने जांच के दौरान एक तस्कर को दो किलो चरस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बरामद चरस की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक करोड़ रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए तस्कर के विरुद्ध विभिन्न थाने में 16 मुकदमें दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक बहराइच केशव कुमार चौधरी के नेतृत्व में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अशोक कुमार ने खैरीघाट पुलिस को अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए थे। अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) अशोक कुमार ने बताया कि , उप निरीक्षक की टीम ने मुखबिर की सूचना पर रात में साढ़े नौ बजे तिगड़ा पुसूपुरवा गांव में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान गांव निवासी सुभाष वर्मा पुत्र कृपाराम वर्मा को दो किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया। बरामद चरस को पुलिस ने सीज कर दिया। जबकि तस्कर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि अभियुक्त के विरुद्ध जनपद के विभिन्न थाने में 16 मुकदमें दर्ज हैं।

लूटपाट की वारदात इलाके में दहशत

बरेली, 20 जुलाई (जनसत्ता)।

जिले के तीन थाना क्षेत्रों में हुई लूट की घटनाओं से लोगों में दहशत फैल गई है। पुलिस अब तक किसी भी वारदात का सुराग लगाने में नाकाम रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सत्यार्थ अनिरूद्ध पंकज ने बताया कि लूट की घटनाओं का जल्द खुलासा करने के लिए थाना पुलिस के अलावा एसओजी को लगाया गया है। पुलिस ने संदेह के आधार पर कई पुराने बदमाशों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू की है।

थाना नबावगंज क्षेत्र में मोटरसाइकिल से एक नवविवाहित युवती मैनाज अपने पति फुरसत हुसैन के साथ मंगलवार की शाम को मायके से ससुराल की ओर जा रही थी। युवती का नंदोई इम्तियाज दूसरी मोटरसाइकिल से उनके पीछे चल रहा था। रास्ते में गोला टांडा गांव के पास मोटरसाइकिल से आए तीन सशस्त्र बदमाशों ने उन्हें रोक लिया। बदमाशों ने तंमचे के बल पर नई नवेली विवाहित युवती के कानों के झुमके, गले का हार, माथे का टीका और पायल सहित सभी जेवरात उतरवा लिए। जेवरात के अलावा उनके पास से पच्चीस हजार रुपए की नकदी और मोबाइल आदि लूटकर फरार हो गए। जाते समय बदमाशों ने युवती के पति की मोटरसाइकिल की चाबी भी निकाल ली। घटना की सूचना मिलने पर थाना पुलिस पीड़ितो को कुंडरा कोठी पुलिस चौकी पर ले गई और उनसे देर रात तक वारदात के बारे में पूछताछ करती रही। लेकिन बदमाशों का कोई सुराग पता नही लगा सकी है।

केन्द्रीय भण्डारण निगम
(भारत सरकार का उपक्रम)
क्षेत्रीय कार्यालय, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ - 226010
जन-जन के लिए भण्डारण

सं.: के.भं.नि./क्षे. का. – लख/ध्या/2022–23/ दिनांक: 20.07.2022

सीडब्लूसी के भंडारगृहों में इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने हेतु अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ई.ओ.आई.)

उत्तर प्रदेश राज्य में बहराइच, बलिया, बीसलपुर, चंदौसी, इटावा फैजाबाद, गाजियाबाद, हरदोई, जहाँगीराबाद, झाँसी, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शाहजहांपुर, शामली, बाजपुर में स्थित सी.डब्लू.सी. के गोदामों/भंडारगृहों के कम्पार्टमेंट में रेट्रोफिटिंग करके स्थित सी.डब्लू.सी. द्वारा प्रकाशित टैरिफ एवं मासिक किराए के आधार पर बिल ओपरेट ट्रांसफर (बी.ओ.टी.) बेसिस/डेडीकेटेड स्पेस को औद्योगिक भंडारण/शीत भंडारण सुविधा/प्रसंस्करण इकाई व्यवस्था/वाणिज्यिक स्थान/ई-कॉमर्स स्टोरेज/वेयरहाउसिंग कूरियर सेवाओं/ट्रांजिट वेयरहाउसिंग सुविधा/खाद्य प्रसंस्करण इकाई और/ग्रेडिंग/सॉर्टिंग सुविधा/पैकेजिंग इकाई जैसी अन्य सेवाओं/अन्य कृषि प्रसंस्करण इकाइयां जैसी चावल मिल, आटा मिल, दाल मिल आदि के लिए इच्छुक पार्टियों को बुनियादी ढांचा प्रदान करने हेतु ई.ओ. आई. आमंत्रित करता है। इच्छुक पार्टी ई.ओ.आई. में उल्लिखित एक या एक से अधिक लोकेशन पर अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है। ई. ओ. आई. को ऑनलाइन www.cewacor.nic.in से डाउनलोड या क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ से प्राप्त किया जा सकता है। ई. ओ. आई. जमा करने की अंतिम तारीख 30.08.2022 है।

क्षेत्रीय प्रबन्धक

RBL BANK

पंजीकृत कार्यालय : पहली लेन, शाहपुरी, कोल्हापुर-416001
नियंत्रण कार्यालय : वन इंडिया बुल्स सेंटर, टॉवर 2बी, 6टी मंजिल, 841 सेनापती बापट मार्ग, लोवर परेल (वेस्ट) मुम्बई 400 013

ई-नीलामी बिक्री सूचना

स्थान : उत्तर प्रदेश नीलामी दिनांक : 22.07.2022

आरबीएल बैंक लिमिटेड ("द बैंक") ट्रैक्टर का निपटान करना चाहता है, जैसा कि नीचे दिया गया है, "जो है जैसा है आधार पर" शर्त पर। नीलामी बिक्री/बोली केवल वेबसाइट www.ediig.com के माध्यम से "ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक बोली" प्रक्रिया के माध्यम से होगी

इच्छुक बोलीदाता अपनी बोली ईएमडी और केवाईसी दस्तावेजों के साथ उपरोक्त वेबसाइट www.ediig.com पर जाकर जमा करेंगे। इच्छुक बोलीदाता से अनुरोध है कि वे पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करें और लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करें। ईएमडी वेब पोर्टल में उल्लिखित खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से देय होगी या हेमन्त शुक्ला – 9838850135 को अपना कोटेशन जमा कर सकते है।

ऋणी का नाम	वाहन का विवरण	मॉडल	वाहन क्रं.	वर्ष	आरक्षित मूल्य (RP)	यार्ड का पता
भगवत प्रसाद	ट्रैक्टर	सोनालिका DI 35	नही	2021	रु 4,02,500/- ईएमडी Rs.20,000/-	प्रताप बहादुर यादव यार्ड, 447, दारागंज, कच्ची सडक, दारागंज, जिला इलाहाबाद, (उ.प्र.) 210001.

विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया वेबसाइट www.ediig.in देखें।
यह सूचना ऋणी के साथ-साथ जमानतनदार के लिए भी मानी जाएं।

वास्ते आरबीएल बैंक लिमिटेड
प्राधिकृत अधिकारी

कार्यालय आचार्य, क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ।

पत्रांक 428/निविदा/भण्डार/2022–23 दिनांक 19.07.2022

अल्पकालीन निविदा–सूचना

क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ में वर्ष 2022–23 में तीन कार्यों हेतु क्रमशः (1) संस्थान परिसर की साफ सफाई कार्य, (2) प्रशिक्षण साहित्य हेतु फोटो कॉपी एवं बाइन्डिंग/फोटो कॉपी, तथा (3) शैक्षिक अध्यन भ्रमण/प्रशिक्षण कार्य हेतु 50 सीटर बस–टैक्सी आदि के लिए सम्बन्धित फर्मों से अल्पकालीन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। भिन्न भिन्न कार्यों हेतु प्रथक प्रथक निविदा फार्म कार्यालय अवधि 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक दिनांक 22.07.2022 से 28.07.2022 के मध्य भण्डार लिपिक से नकद रू0 500.00 जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। जिसे भर कर तकनीकी एवं वित्तीय निविदाएं अलग अलग सील बन्द लिफाफे में संस्थान परिसर के भण्डार कक्ष के सम्मुख स्थित निविदा बाक्स में दिनांक 28.07.2022 को दोपहर 12:00 बजे तक डाली जा सकती है। निविदाएं उसी दिन 28.07.2022 को अपरान्ह को 02:00 बजे समिति के समक्ष खोली जायेगी।

आचार्य
क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ।

कार्यालय ग्रा.पं. अखत्यारपुर बधौरा, वि.खं. ददरौल, शाहजहांपुर

अल्पकालीन निविदा सूचना

समस्त पंजीकृत फर्मों/ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत अखत्यारपुर बधौरा विकास खण्ड ददरौल, जनपद शाहजहांपुर में वित्तीय वर्ष 2022-2023 की कार्ययोजना के अनुसार वर्ष 2022-23 में पंचम राज्य वित्त आयोग/पन्द्रहवा केन्द्रीय वित्त आयोग /मनरेगा आदि की अवशेष धनराशि से कराये जाने वाले कार्य तथा पंचायत घर, नाली निर्माण और मरम्मत, खड़ंजा, इण्टरलॉक लोड, कुएं का जीर्णोद्धार, पुलिया ठोस एवं तरल एवं अवशिष्ट प्रबन्धन तथा वर्षा ऋतु, जल संचयन, पल्टीपल हैण्डवासिंग, दिव्यांग शौचालय, रनिंग वाटर, प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में कायाकल्प, रसोईघर निर्माण टायलीकरण, चाहरदीवारी निर्माण एवं मरम्मत, ह्यूम पाइप क्रय, , ठेलियां क्रय/मरम्मत, सफाई किट, मेडीकल उपकरण क्रय, दवा छिड़काव, सेनिटाइजर, स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट, सबमर्सिबल, हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत, बॉल पेंटिंग एवं सूचना बोर्ड की स्थापना आदि कार्य कराये जाने हेतु प्रथम श्रेणी ईंट, खड़ंजा ईंट, इण्टरलॉकिंग ईंट, सीमेन्ट महीन रेता, मौरंग, बजरी, ईंट, रोड़ा, सरिया, एंगल, एम.एस. मटेरियल, टाइल्स, पाइप, टोंटी, पेंट, विद्युत उपकरण, फर्नीचर, ऑफिस स्टेशनरी, कम्प्यूटर एवं सामग्री आदि के क्रय हेतु सीलबन्द निविदाएं निविदा के 3 दिन में ग्राम पंचायत कार्यालय से सम्पर्क करें। निविदा को स्वीकार अथवा निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत में निहित होगा। सामग्री की जानकारी ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

रामदेव शुक्ला, ग्राम प्रधान अईनुद्दीन, सचिव

POONAWALLA HOUSING FINANCE
Apna Ghar, Apni Pehchan

पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
(पूर्व का मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड)
पंजीकृत कार्यालय : 602, 6ठा तल, जीरो वन आईटी पार्क, क्रम सं. 79/1, घोरपड़ी, मुंधवा रोड, पुणे-411036
शाखा कार्यालय लखनऊ : 5वीं मंजिल, हलवासिया कॉमर्स हाउस, 11 एम.जी. रोड, हजरतगंज, लखनऊ-226001
शाखा कार्यालय कानपुर : प्रथम तल, प्लॉट नं. 122/728 एवं 729, शास्त्री नगर, कानपुर (निकट चैन फैक्ट्री चौराहा) पिन-208005

ई-नीलामी-बिक्री सूचना

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (यहां के बाद 'अधिनियम' वर्णित) के अंतर्गत प्रतिभूत अचल परिसम्पत्ति की बिक्री

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों/सह-ऋणधारकों/गारन्टरों को सूचित किया जाता है कि मैग्मा हाउसिंग फाइनांस लि. अब निगमन के प्रमाणपत्र के माध्यम से पूनावाला हाउसिंग फाइनांस लि. के पास गिरवी नीचे वर्णित सम्पत्ति जिसका अधिनियम की धारा 13(4)/धारा 14 के अंतर्गत कम्पनी के संबंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा किया गया था, की लागू ब्याज, चार्जेज तथा खर्चे आदि के साथ कम्पनी के बकाये की वसूली के लिये नीचे वर्णित शर्तों के अनुसार ई-नीलामी द्वारा बिक्री की जायेगी।

सम्पत्ति की बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियम (यहां के बाद नियमों वर्णित) के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत **'जैसा है जहां है, जो भी वहां है तथा उपचार-रहित आधार'** पर होगी।

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड/प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट अर्थात www.poonawallahousing.com देखें।

प्रस्ताव सं. ग्राहक का नाम (A)	मांग सूचना की तिथि तथा बकाया राशि (B)	कब्जे की प्रकृति (C)	सम्पत्ति का विवरण (D)	आरक्षित मूल्य (E)	इएमडी (आरपी का 10%) (F)	इएमडी जमा करने की तिथि (G)	संविदा वृद्धि (H)	सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय (I)	नीलामी की तिथि एवं समय (J)	ज्ञात ऋण भार/कोर्ट के मामले, यदि कोई हो, (K)
ऋण सं. HM/0043/H/17/100206 प्रशान्त कुमार गर्ग (कर्जदार) मंजुला यादव गर्ग (सह-कर्जदार)	सूचना की तिथि : 08/11/2021 कुल बकाया : रु. 11,88,165/- (रुपये ग्यारह लाख अट्ठासी हजार एक सौ पैंसठ मात्र) 07/11/2021 तक देय तथा वसूली तक 12.00% वार्षिक दर से ब्याज	Physical	प्लॉट नं. 40 पर मकान, खसरा नं. 36, माप 800 वर्ग फीट, ग्राम मादापुर, परगना निगोहा, तहसील मोहनलाल गंज, जिला लखनऊ, लखनऊ, पिन-226025.	रु. 960,000/- (रुपये नौ लाख साठ हजार मात्र)	रु. 96,000/- (रुपये छियानबे हजार मात्र)	09/08/2022 को 5 बजे अप. से पूर्व	10,000/-	03/08/2022 (11 बजे पूर्वा. से 4 बजे अप.)	10/08/2022 (11 बजे पूर्वा. से 2 बजे अप.)	निल
ऋण सं. HM/0045/H/17/100071 मधु सिंह (कर्जदार) धर्मेन्द्र प्रताप सिंह (सह-कर्जदार)	सूचना की तिथि : 15/09/2019 कुल बकाया : रु. 12,23,819.00/- (रुपये बारह लाख तेईस हजार आठ सौ उन्नीस मात्र) 13/05/2019 तक देय तथा वसूली तक 11.80% वार्षिक दर से ब्याज	Physical	सम्पत्ति अराजी सं. 58 का समस्त भाग, प्लॉट नं. 22 एवं 23, ग्राम कटरी पीपर, खेड़ा, उत्तर प्रदेश, उन्नाव, पिन-209801	रु. 4,05,000/- (रुपये चार लाख पांच हजार मात्र)	रु. 40,500, /- (रुपये चालीस हजार पांच सौ मात्र)	09/08/2022 को 5 बजे अप. से पूर्व	10,000/-	03/08/2022 (11 बजे पूर्वा. से 4 बजे अप.)	10/08/2022 (11 बजे पूर्वा. से 2 बजे अप.)	निल
ऋण सं. HM/0045/H/18/100040 नीरज वर्मा (कर्जदार) संदीपा वर्मा (सह-कर्जदार)	सूचना की तिथि : 22/01/2022 कुल बकाया : रु. 15,07,487/- (रुपये पन्द्रह लाख सात हजार चार सौ सत्तासी मात्र) 22/01/2022 तक देय तथा वसूली तक 15.5% वार्षिक दर से ब्याज	Physical	सम्पत्ति प्लॉट नं. 5 का समस्त भाग, अराजी नं. 559, मैथा कानपुर देहात में स्थित, माप 250 वर्ग गज, सीमाएँ : पूर्व : श्री राजू अवस्थी का मकान, पश्चिम : 12 फीट रोड, उत्तर : प्लॉट नं. 4, दक्षिण : प्लॉट नं. 6	रु. 15,15,938/- (रुपये पन्द्रह लाख पन्द्रह हजार नौ सौ अड़तीस मात्र)	रु. 151,593/- (रुपये एक लाख इक्यावन हजार पांच सौ तिरानबे मात्र)	09/08/2022 को 5 बजे अप. से पूर्व	10,000/-	03/08/2022 (11 बजे पूर्वा. से 4 बजे अप.)	10/08/2022 (11 बजे पूर्वा. से 2 बजे अप.)	निल

"बिक्री/खरीद की भावी पूछताछ या किसी सहायता के लिए कृपया श्री इकबाल आलम (मोबाइल नं. 9958195453) पर सम्पर्क करें।"

इच्छुक बोलीदाताओं से आग्रह है कि शाखा में जाकर नीलामी की संपत्ति निरीक्षण करें तथा प्रभारों, अधिभारों की जानकारी प्राप्त करें। क्रेता अपने स्वयं की पूछताछ करें तथा अतिरिक्त प्रभारों, अधिभारों तथा सभी दृष्टियों पर किसी भी तृतीय पार्टी के हितों की जांच कर स्वयं को संतुष्ट कर लें। सभी सांविधिक बकाए जैसे संपत्ति कर, बिजली बकाये तथा संपत्ति से जुड़ी अन्य बकाए, यदि कोई हो, का भुगतान सफल बोलीदाता/संभावित क्रेता को ही करना होगा। उनके स्वयं के हित में बोलीदाता/संभावित क्रेताओं से अनुरोध है कि अपनी बोली जमा करने से पूर्व उपरोक्त के संदर्भ में तथा संपत्ति से संबंधित अन्य विवरणों के विषय अपने स्वयं के हित में जांच करके संतुष्ट हो लें।

इच्छुक बोलीदाताओं को अग्रिम में पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा तथा लागिन आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त करना होगा जिसे नीलामी सेवा प्रदाता मैसर्स नेक्सजेन सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड, #203, दूसरी मंजिल, श्री श्याम पैलेस, सेक्टरः 4 और 5 क्रॉसिंग, रेलवे रोड, गुरुग्राम 122 006 (संपर्क नंबर +91 93100 29933/+91 98100 29926/ +91 124 4 233 933), संपर्क ग्राहक सेवा वितरण (सीएसडी) सेल नं. (मो.) +91 93100 29933/+91 98100 29926 (दूरभाष) +91 124 4 233 933. ईमेल आईडीः- CSD@DisposalHub.Com. कृपया ध्यान रहे कि संभावित बोलीदाता केवल उन्हीं से ही ई-नीलामी पर ऑन लाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक क्रेता/ बोलीदाता को 04.08.2022 को या इससे पूर्व "पूनावाला हाउसिंग फाइनांस लि.", बैंक आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, खाता नं. 000651000460 तथा आईएफएससी कोडः ICIC0000006, 20, आर.एन. मुखर्जी रोड, कोलकाता-700001 की खाता में एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा धरोहर राशि भुगतान (ईएमडी) की राशि जमा करना होगा तथा https://DisposalHub.Com पर अपना नाम पंजीकृत कराना होगा तथा सेवा प्रदाता से निशुल्क यूजर आईडी एवं पास्वर्ड प्राप्त करना होगा तथा ई-नीलामी पर प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। वेबसाइट पर पंजीकरण के बाद इच्छुक क्रेता/ बोलीदाता को अधोलिखित दस्तावेजों प्रतियों को अपलोड, ईमेल करना होगा तथा स्वप्रमाणित हार्ड कॉपी अधोलिखित (सम्बद्ध प्रबन्धक पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लि.) के पास भेजना होगाः श्री सुधांशु शर्मा, पता- शाखा कार्यालय इकाई : प्रथम तल, प्लॉट नं. 122/728 एवं 729, शास्त्री नगर, कानपुर (निकट चेन फैक्ट्री चौराहा) पिन-208005, मोबाइल नं. 9953904004, ई-मेल आईडी : sudanshu.sharrma@poonawallahousing.com.

प्राधिकृत अधिकारी
पूनावाला हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड
(पूर्व की मैग्मा हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड)

स्थानः लखनऊ/कानपुर (उ.प्र.)
तिथिः 21.07.2022

स्टाइलम इंडस्ट्रीज लिमिटेड
STYLAM
CIN: L20211CH1991PLC011732
पंजीकृत कार्यालयः एससीओ 14 सेक्टर 7 सी मध्य मार्ग चंडीगढ़–160019
ईमेलः cs@stylam.com , वेबसाइटः https//www.stylam.com

30 जून 2022 को समाप्त तिमाही के अलेखापरीक्षित समेकित वित्तीय परिणामों का सारांश

(रु. लाख में)

क्र सं	विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष
		30.06.2022	31.03.2022	30.06.2021	31.03.2022
1	संचालन से कुल आय	23524.43	18671.04	13118.65	66734.74
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, आपवादिक और/या असाधारण सामग्री से पूर्व)	2760.85	1914.83	1911.64	8057.16
3	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर से पहले, आपवादिक और/या के बाद) असाधारण सामग्री के पश्चात्)	2760.85	1914.83	1911.64	8057.16
4	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, आपवादिक और/या असाधारण सामग्री के बाद)	2094.85	1658.01	1388.61	6110.72
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि के लिए लाभ/(हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद) से समाविष्ट]	2098.57	1645.95	1379.81	6087.72
6	समता अंश पूंजी	847.40	847.40	847.40	847.40
7	आरक्षितियां (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर)				30761.80
8	आय प्रति अंशः 1. मूल 2. तनुकृत	 12.38 12.38	 9.78 9.71	 8.19 8.14	 36.06 35.92

टिप्पणियांः

1. स्टाइलम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड और इसकी सहायक–कंपनियों के उपरोक्त परिणामों की समीक्षा लेखा–परीक्षक समिति द्वारा की गई थी और क्रमशः दिनांक 20 जुलाई 2022 को आयोजित अपनी बैठकों में निदेशक मंडल द्वारा इनका अनुमोदन किया गया था। कंपनी के सांविधिक लेखा–परीक्षकों ने लेखा–परीक्षण कर लिया है और वित्तीय विवरणों पर अपनी असंशोधित राय निर्गत की है।
2. उपरोक्त जो है वह सेबी (सूचीकरण एवं अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास प्रविष्ट 30 जून 2022 को समाप्त तिमाही के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामो के विस्तृत प्रारूप का एक सारांश है। अलेखापरीक्षित त्रैमासिक पृथक्कृत एवं समेकित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट (www.bseindia.com एवं www.nseindia.com) तथा कंपनी की वेबसाइट (www.stylam.com) पर उपलब्ध हैं।
3. कंपनी के पृथक्कृत वित्तीय परिणामों पर जानकारी निम्नानुसार हैः–

(रु. लाख में)

क्र सं	विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष
		30.06.2022	31.03.2022	30.06.2021	31.03.2022
1	संचालन से कुल आय	23523.23	18668.11	13118.65	66731.81
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर से पहले, आपवादिक और/या बाद) असाधारण सामग्री के बाद)	2759.65	1902.61	1911.64	8047.92
3	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, आपवादिक और/या असाधारण सामग्री के बाद)	2093.65	1645.79	1388.61	6101.48

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से
स्टाइलम इंडस्ट्रीज लिमिटेड
हस्ता./–
जगदीश गुप्ता
प्रबंध निदेशक

स्थानः चंडीगढ
दिनांकः 20.07.2022